संख्या– 64/2023/665/छप्पन-2023-11/2013 टी.सी.-2

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2023

विषय: मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) पर टर्मिनल/भवन तक टेलीफोन लाइन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान की जाने वाली धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 42/आर0सी0एस0-2023-ए-3/2018 दिनांक 16 मई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2014 में निष्पादित एम0ओ0यू0 में विहित व्यवस्था के आलोक में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) पर टर्मिनल/भवन तक टेलीफोन लाइन उपलब्ध कराने हेतु आगणन लागत रू0 32,97,116/- (रूपए बत्तीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ सोलह मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) पर टर्मिनल/भवन तक टेलीफोन लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आगणित लागत रू0 32,97,116/- (रूपए बत्तीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ सोलह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 32,97,116/- (रूपए बत्तीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ सोलह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वर्ष 2014 में राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराए गए कार्यों का विवरण एवं व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन के माध्यम से यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 32,97,116/- (रूपए बत्तीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ सोलह मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा भारत संचार निगम लि0 के सम्बन्धित खाता संख्या में जमा कराई जाएगी एवं इसकी सूचना प्रमाण सहित शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-16/दस-2023-24, दिनांक 25 मई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 64/2023/665(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- उप महाप्रबन्धक, कार्यालय जनरल मैनेजर टेलीकॉम, जिला फैजाबाद, सिविल लाइन अयोध्या-224001.

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।